रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 1978/माघ 21, 1899

No. 67] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 1978/MAGHA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1978

का.आ. 85(अ).—(18ए/आई डी आर ए/78).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि कल्याणी, जिला नाडिया (पश्चिमी बंगाल) स्थित मेसर्स नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड उपक्रम का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है), जिसकी बाबत उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई है प्रबंध ऐसी रीति से किया जा रहा है जो उक्त उद्योग के लिए और लोकहित में बहुत ही अपायकर है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, व्यक्तियों के ऐसे निकाय को (जिसे इस आदेश में प्रबंध बोर्ड कहा गया है) और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, उक्त पूरे औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने के लिए प्राधिकृत करती है :—

1. श्री जे. आई. मेहता—अध्यक्ष
2. श्री सुबीर सेन—सदस्य
3. श्री पी. बी. सुब्बाराव—सदस्य
4. श्री एस. भट्टाचार्य—सदस्य
5. श्री एस. डी. गांगुली—सदस्य

किन्तु यह प्रबंधग्रहण निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर होगा, अर्थात् :—

(1) प्रबन्ध बोर्ड, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का पालन करेगा,

(2) प्रबंध बोर्ड राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक के लिए अपना पद भार सम्भालेगा, और

(3) केन्द्रीय सरकार प्रबन्ध बोर्ड के किसी भी सदस्य की नियुक्ति, यदि वह वैसा करना आवश्यक समझती है तो, उसके पूर्व भी समाप्त कर सकती है।

2. यह आदेश पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो राजपत्र में आदेश के प्रकाशन की तारीख को प्रारम्भ होगी।

[फा. सं. 2(1)/78-सी यू सी]

जी. वी. रामकृष्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th February, 1978

S.O. 85(E).—(18A/IDRA/78).—Whereas the Central Government is of opinion that the undertaking of Messrs

National Rubber Manufacturers Limited, located at Kalyani, District Nadia (West Bengal), in respect of which an investigation has been made under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), is being managed in a manner highly detrimental to the scheduled industry and public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the body of persons (in this Order referred to as the Board of Management) comprising :—

1. Shri J. I. Mehta — Chairman
2. Shri Subir Sen — Member
3. Shri P. V. Subba Rao — Member
4. Shri S. Bhattacharyya — Member
5. Shri S. D. Ganguli — Member

to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions namely :—

(i) The Board of Management shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) The Board of Management shall hold office for five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette; and

(iii) The Central Government may terminate the appointment of any of the persons comprising the Board of Management earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(1)/78-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978